VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

WEEKLY FOCUS
#75, AUG 2022

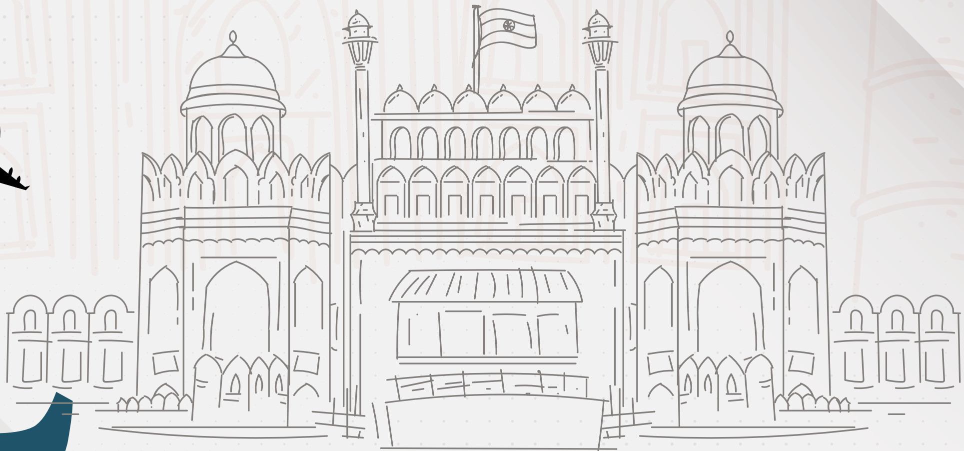

इंडिया 75 एंड बियॉण्ड

Delhi Jaipur Hyderabad Pune Ahmedabad Lucknow Chandigarh Guwahati

परिचय

उत्तरंयत्समुद्रस्यहिमाद्रेश्चैवदक्षिणम्।
वर्षंतद्भारतंनामभारतीयत्रसंततिः।।

uttaram yatsamudrasya himādreścaiva daksinam
varsam tadbhāratam nāma bhāratī yatra santatih

अर्थात्, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि स्थित है, उसे भारत भूमि एवं इसकी संतानों को भारती कहते हैं।

\- विष्णु पुराण (2.3.1)

इंडिया अर्थात् भारत, भूमि का एक खंड मात्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक सभ्यता का प्रतीक है, जिसकी सामाजिक-सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही फल-फूल रहा है एवं पूरे विश्व के साथ इसके संबंध रहे हैं। इस समृद्धि ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ-साथ अन्य साम्राज्यों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। ब्रिटिश साम्राज्य ने लगभग 200 वर्षों तक इस उपमहाद्वीप को अपना उपनिवेश बनाए रखा। भारत से जाते वक्त उन्होंने इसे गरीब और वैश्विक रूप से कम महत्वपूर्ण बना दिया था। उदाहरण के लिए, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी 1700 ईस्वी में 22.6% थी, जो 1947 में घटकर मात्र 3% रह गई।

15 अगस्त, 1947 की मध्य-रात्रि को भारत स्वतंत्र हो गया। इसने देश के लोगों के मध्य बंधुता बनाए रखते हुए, प्रत्येक भारतीय के जीवन से सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों को दूर करके साझा समृद्धि का निर्माण करने का संकल्प लिया। इस स्वतंत्रता ने दुनिया में भारत को अपनी साख को पुनः प्राप्त करने एवं वैश्विक स्तर पर विचारों को प्रभावित करने का भी अवसर प्रदान किया।

भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर हमें यह आकलन करना चाहिए कि प्रत्येक भारतीय के जीवन में कितना बदलाव आया है और भारत के अतीत के गौरव को हमने कितना पुनर्जीवित किया है। यह भविष्य की आकांक्षाओं को भी निर्धारित करने का अवसर है, विशेषकर तब जब भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की कगार पर है।

भारत की आजादी के पिछले 75 साल का जायजा लेने तथा भविष्य की योजना बनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि विगत 75 वर्षों में भारत का दृष्टिकोण एवं इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं? भारत की उपलब्धियों को सीमित करने वाले कारक कौन-से हैं? एक विकसित, गौरवान्वित, संगठित और कर्तव्यबद्ध भारत @100 के निर्माण के लिए किस रोडमैप को अपनाया जा सकता है?

विगत 75 वर्षों में भारत का दृष्टिकोण और इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं?

विगत 75 वर्षों में, भारत का नीतिगत दृष्टिकोण अपनी सभ्यता की ताकत, सांस्कृतिक विविधता एवं लोगों के प्रयासों को मजबूत करने की आकांक्षाओं से प्रेरित रहा है। इसका उद्देश्य समृद्धि प्राप्त करना और भारत को शेष विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनाना रहा है। इसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत के वास्तविक दृष्टिकोण और उपलब्धियों के माध्यम से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है;

क्षेत्र	दृष्टिकोण	उपलब्धियां
राजनीति	यह भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धांतों का पालन करता है: ❖ संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य; ❖ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन; ❖ संघीय ढांचे के साथ सरकार का संसदीय स्वरूप; ❖ भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए कल्याणकारी राज्य।	आपातकाल एवं राजनीतिक अस्थिरता जैसी घटनाओं के बावजूद भी भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांत काफी हद तक अछूते रहे हैं। वास्तव में इन घटनाओं ने, भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को और मजबूत किया है: ❖ पंचायतों और नगरपालिकाओं की स्थापना। ❖ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 ❖ निजता के अधिकार के माध्यम से मूल अधिकारों का विस्तार आदि।
अर्थव्यवस्था	❖ औद्योगिक नीति संकल्प, 1948 के तहत मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के साथ शुरुआत की गई। इसके तहत सरकारी एकाधिकार, लाइसेंस, कोटा और परमिट (LQP) प्रणालियों को बढ़ावा दिया गया और विदेशी फंड पर सीमा आरोपित की गई। ❖ नई औद्योगिक नीति, 1991 ने इसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) में बदल दिया।	बदलते समय के साथ, भारत ने दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि को अपनाया है: ❖ वर्ष 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2.79 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 147.36 लाख करोड़ रुपये हो गया (स्थिर मूल्य पर)। ❖ वर्ष 1950-51 में विदेशी व्यापार 2.54 बिलियन डॉलर का था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1426 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया। ❖ विदेशी मुद्रा भंडार वर्ष 1950-51 में 911 करोड़ रुपये था, जो अब (5 अगस्त, 2022 तक) बढ़कर 45,42,615 करोड़ रुपये हो गया है। ❖ खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आदि।
लोग और समाज	एक पंथनिरपेक्ष और कल्याणकारी देश होने के नाते, भारत का संविधान लोगों और समाज के प्रति देश के दृष्टिकोण का निम्नलिखित के माध्यम से मार्गदर्शन करता है: ❖ न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ❖ मूल अधिकार, जैसे- समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार आदि। ❖ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आदि।	❖ स्वास्थ्य संकेतकों (शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा आदि) में अत्यधिक सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए-जीवन प्रत्याशा वर्ष 2020 में बढ़कर 70.8 वर्ष हो गई है, जो वर्ष 1950 में मात्र 31 वर्ष थी। ❖ शैक्षिक अवसंरचना और साक्षरता में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए-वर्ष 1951 में साक्षरता दर मात्र 18.3% थी, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 77.7% हो गई है। ❖ पेयजल, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि के साथ-साथ निर्धनता के स्तर में कमी आई है। ❖ महिला सशक्तीकरण और राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ी जातियों/जनजातियों की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

क्षेत्र	दृष्टिकोण	उपलब्धियां
विदेश नीति	वैश्विक हित के लिए प्रयासरत एक शक्ति के रूप में, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं एक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए काम करता है और साथ-साथ निम्नलिखित आधारों तथा नीतियों के माध्यम से अपनी सामरिक स्वायत्तता को भी संरक्षित करता है। जैसे- ❖ 5स: सम्मान (Respect), संवाद (Dialogue), सहयोग (Cooperation) , शांति (Peace) और समृद्धि (Global Prosperity); ❖ बहुध्रुवीय फोकस के साथ विचारधारा में भारतीयता (मध्यम मार्ग), ❖ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों की सहायता करना, ❖ नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी (दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए), लुक वेस्ट (पश्चिम- एशिया के लिए) जैसी नीतियां।	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थायी सदस्यता अभी भी भारत को प्रदान नहीं की गई है। इसके बावजूद भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में निम्नलिखित के द्वारा अपनी भूमिका निभाता रहा है: ❖ अन्य अफ्रीकी और एशियाई राष्ट्रों के मुक्ति संघर्ष में मदद करना। ❖ गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से तीसरी दुनिया की सामरिक स्वायत्तता की रक्षा करना। ❖ दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना। ❖ संधारणीय विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का निर्माण करना, जैसे- हिंद-प्रशांत द्वीप समूहों के बीच सहयोग के लिए फोरम (Forum for India-Pacific Islands Cooperation) स्थापित करना। ❖ नियम-आधारित व्यवस्था के लिए G20, BRICS, QUAD जैसे अधिकांश प्रमुख बहुपक्षीय मंचों का सदस्य बनना।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	आर्थिक और सामाजिक सफलता के लिए भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियां निम्नलिखित द्वारा निर्देशित हैं: ❖ क्षमता निर्माण करना (इसके अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और श्रम शक्ति का क्षमता निर्माण करते हुए लैंगिक समानता पर विशेष ध्यान देना है)। ❖ उभरते क्षेत्रकों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास करना। ❖ विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं एवं अन्य वंचित वर्गों के लिए जमीनी स्तर पर विकास कार्यों हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं सभी क्षेत्रकों में इसके उपयोग को बढ़ावा देना। ❖ वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास हेतु जनता के बीच विज्ञान का प्रसार करना।	कई संस्थानों, अंतर-मंत्रालयी सहयोग और योजनाओं के फलस्वरूप: ❖ भारत विज्ञान संबंधी शोध-पत्रों के प्रकाशन और पी.एच.डी. धारकों की संख्या में तीसरे स्थान पर; वैश्विक नवाचार सूचकांक में 46वें स्थान पर है। ❖ भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्युटिकल क्षेत्रक है। यह वैश्विक स्तर पर शीर्ष आई.टी. उत्पादों के निर्यातकों में से एक है। ❖ भारत मंगल पर सफल मिशन भेजने वाला पहला एशियाई देश है। इसने एक ही प्रक्षेपण मिशन के तहत PSLV-C37 द्वारा रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया है। ❖ आत्मनिर्भरता हेतु सफल स्वदेशी कार्यक्रम और प्रौद्योगिकियां, जैसे- परमाणु कार्यक्रम; सुपरकंप्यूटिंग मिशन; क्रायोजेनिक इंजन; परमाणु घड़ियां; हाइड्रोजन ईंधन सेल आदि का विकास किया गया है।

भारत का स्वरूप निर्धारित करने वाले कानून

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 द्वारा लोकतंत्र को आधार प्रदान करना: वर्ष 1950 के अधिनियम में मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए प्रक्रिया एवं तंत्र निर्धारित किया गया था। वर्ष 1951 के अधिनियम द्वारा चुनाव-संचालन हेतु इस तरह के उपबंध किए गए हैं।
- हिंदू प्रथाओं में सुधार करना, जैसे-हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956: इससे सामूहिक रूप से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। इसके तहत बहुविवाह को गैरकानूनी घोषित किया गया, तलाक की अवधारणा प्रस्तुत की गई और पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं को पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया गया है।
- भारत के राजनीतिक ढांचे का पुनः निर्धारण: वर्ष 1956 के सातवें संविधान संशोधन ने भाषाई आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को पेश किया था, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।
- अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करना- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989: हालांकि इस कानून को सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। इसके बावजूद, यह कानून इस समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव और हिंसा को स्पष्ट रूप से चिन्हित करता है। साथ ही यह, उन्हें इस भेदभाव और हिंसा से निपटने के लिए एक समर्पित कानूनी सहायता भी प्रदान करता है।
- सुरक्षा और संरक्षण- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980: इन कानूनों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों आदि के रूप में भारत के लिए एक संरक्षित पारितंत्र का निर्माण किया है। इन कानूनों ने प्रोजेक्ट टाइगर, गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए संरक्षण कार्यक्रम आदि, के लिए एक आधार के रूप में भी कार्य किया है।
- सरकारी प्रणाली में पारदर्शिता लाना- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: इस कानून ने सरकारी प्रणाली की पारदर्शिता में सुधार किया है और इससे संपूर्ण सरकारी पारितंत्र की जवाबदेही में वृद्धि हुई है। RTI को दुनिया के सबसे प्रगतिशील पारदर्शिता संबंधी कानूनों में से एक माना जाता है।
- सकारात्मक बाह्य कारकों से कल्याण - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005: रोजगार गारंटी योजना न केवल रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है, बल्कि स्थानीय परिसंपत्तियों के निर्माण, क्रय शक्ति में सुधार, आदि के द्वारा सकारात्मक परिदृश्य का भी सृजन करती है।

ऐतिहासिक निर्णय

- ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) और मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978): इन मामलों ने भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कानून के उपयोग की नींव रखी। इसके निर्णयों में यह कहा गया कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत होनी चाहिए।
- केशवानंद भारती श्रीपादगलवरु बनाम केरल राज्य (1973): इसमें कहा गया कि हालांकि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन द्वारा "संविधान के आधारभूत ढांचे" में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
- जनहित याचिका- मुंबई कामगार सभा, बॉम्बे (1976): इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रतिनिधि कारवाईयां, स्वेच्छा से और किसी भुगतान के बिना किए गए पेशेवर कार्य (Pro Bono Publico) और इसी के समान कानूनी कार्यवाहियों के व्यापक रूप न्याय के वर्तमान स्वरूप के अनुरूप हैं।
- शाह बानो मामला (1985): इसके तहत पूर्व में दिए गए निर्णय के विपरीत दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण को स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार लैंगिक न्याय की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित हुआ।
- इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ एवं अन्य (1993): इस मामले के अंतर्गत आरक्षण हेतु 50% की सीमा निर्धारित की गई, कुछ विशेष प्रकार के पदों में आरक्षण के प्रावधान को निरस्त किया गया। साथ ही, 'क्रीमी लेयर' को आरक्षण के दायरे से बाहर किया गया।
- एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): इस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति दी जाती थी।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ एवं अन्य (2014): हमारे संविधान और कानूनों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर अर्थात् बाइनरी जेंडर (महिला और पुरुष) से अलग एक जेंडर के रूप में मान्यता दी गई।
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018): इसके तहत भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 को हटा दिया गया। इस प्रकार समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।

भारत की उपलब्धियों को सीमित करने वाले कारक कौन-से हैं?

विकसित देशों के अलावा, भारत दुनिया के उन असाधारण देशों में से एक है, जिसकी उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है। फिर भी इसके आकार, प्रतिभा और समग्र क्षमता के संदर्भ में ये उपलब्धियां अभी भी विभिन्न कारकों के कारण सीमित हैं। जैसे:

❖ राजनीतिक दलों द्वारा कार्यप्रणाली में शक्ति और मुद्दों का दुरुपयोग किया जाना: वर्ष 1975 में लागू राष्ट्रीय आपातकाल ने भारतीय संविधान की सत्तावादी शासन के प्रति सुभेद्यता को प्रकट किया था। इन सुभेद्यताओं का दुरुपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है-

- राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 (125 से अधिक बार प्रयुक्त) का दुरुपयोग।
- राज्यपाल के पद के माध्यम से राज्य के मामलों में केंद्र का हस्तक्षेप करना और इस प्रकार विधिवत निर्वाचित राज्य सरकार (संघवाद) को कमजोर करना।
- भारत में राजनीतिक दल निम्नलिखित मुद्दों का सामना करते हैं:
  - ◇ अपारदर्शी चुनावी फंडिंग (राष्ट्रीय दलों को 15 वर्षों में ₹ 15,078 करोड़ प्राप्त हुए हैं।)
  - ◇ राजनीति का अपराधीकरण (ऐसे सांसद जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनकी संख्या वर्ष 2004 में 24% थी जो वर्ष 2019 में बढ़कर 43% हो गई।)।
  - ◇ दल-बदल, संप्रदायवाद की बढ़ती राजनीति आदि।

आजादी के बाद से भारतीय संस्थानों का प्रदर्शन कैसा रहा है?

विभिन्न भारतीय संस्थानों का निर्माण ब्रिटिश विरासत की आधारशिला पर हुआ है। इसलिए, भारतीय प्रशासन की कानूनी व्यवस्था, सिविल सेवाओं का सामान्य चरित्र, सचिवालय प्रणाली, कार्यालयी प्रक्रियाएं, जिलों का प्रबंधन, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रणाली, न्यायपालिका का पुनर्गठन, विधि का शासन, बजट, लेखांकन, लेखा परीक्षण और कई अन्य संरचनात्मक तथा कार्यात्मक क्षेत्रों की जड़ें ब्रिटिश शासन से जुड़ी हैं।

फिर भी, ये संस्थाएं स्वतंत्रता के बाद से तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा कर रही हैं और नागरिकों की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं:

- चुनाव प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने, विधि का शासन, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने सीमित स्वायत्त संस्था से मुखर नेतृत्व वाली स्वायत्त संस्था तक का सफर तय किया है।
- शक्ति के कठोर पृथक्करण से आगे बढ़ सुप्रीम कोर्ट, नागरिकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा हेतु सक्रिय भूमिका में सामने आया है। यह कदम आवश्यकता पड़ने पर कार्यपालिका की अक्षमताओं और दुर्बलताओं के परिणामस्वरूप एवं प्रतिक्रिया के रूप में उठाया जाता रहा है।
- प्रशासनिक तंत्र, केवल कानून और व्यवस्था एवं विनियमन केंद्रित प्रणाली से लोक-कल्याणकारी एवं विकास केंद्रित प्रणाली में परिवर्तित हो गया है।
- प्रशासन के क्षेत्र में एक केंद्रीकृत प्रणाली लोकप्रिय भागीदारी में बदल गई है। विशेष रूप से पंचायती राज संस्थानों, नगरपालिका प्रबंधन, सहकारी समितियों और स्वैच्छिक संगठनों के विकास के माध्यम से यह भागीदारी संभव हुई है।
- RBI की भूमिका में परिवर्तन आया है। यह विकासात्मक संस्थान (विशेषकर कृषि क्षेत्रक में) और वित्तीय अवसंरचना के निर्माण-कर्ता से केंद्रीय बैंक की भूमिका में आ गया है। अब इसके मुख्य कार्य-मौद्रिक नीति का निर्धारण, बैंक पर्यवेक्षण और विनियमन आदि हैं।
- पूर्व में उद्योगों को सरकार द्वारा विनियमित किया जाता था, जबकि वर्तमान में स्वतंत्र विनियामक एजेंसियों का विकास हो चुका है। उदाहरण के लिए- दूरसंचार के क्षेत्र में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) तथा शेयर बाजार के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमयन बोर्ड (SEBI) जैसी स्वतंत्र विनियामक एजेंसियों का विकास किया गया है।

❖ सुशासन का अभाव: चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत 52वें स्थान पर है। इसका प्रमुख कारण भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी, विधि का खराब शासन, उच्च राजकोषीय घाटे आदि हैं:

- सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम जैसे कानूनों का खराब कार्यान्वयन।
- सिविल सेवकों का मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता का अभाव।
- स्थानीय सरकारों को निधियों, कार्यों और कर्मचारियों का सीमित एवं अपर्याप्त हस्तांतरण।

❖ अपारदर्शी न्यायपालिका और उस पर अत्यधिक बोझ: भारत में लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। हालांकि, यह विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है, जैसे:

- कार्यबल, अवसंरचना और धन की कमी के कारण भारी संख्या में लंबित मामले,
- पारदर्शिता की कमी (जैसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में) और भ्रष्टाचार,
- अस्पष्ट परिभाषाओं वाले पुराने कानून और लोगों में कानून के प्रति सीमित जागरूकता।

❖ आर्थिक बाधाएं और क्षेत्रीय असमानताएं: यद्यपि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, किंतु यह प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नॉमिनल) के मामले में अभी भी 144वें स्थान पर है:

- आजादी के 75 साल बाद भी रोजगार प्रदान करने के संबंध में कृषि सबसे बड़ा क्षेत्रक बना हुआ है।
- मानव पूंजी निर्माण में कम निवेश और बड़े पैमाने पर औपचारिक/ पेशेवर प्रशिक्षण का अभाव है।
- विस्तृत अनौपचारिक क्षेत्रक के कारण रोजगार सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आदि का अभाव है।
- उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, कम उत्पादकता आदि के कारण भारतीय निर्यात वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी बना हुआ है। इसके कारण व्यापार घाटे में वृद्धि हो रही है।
- उच्च राजकोषीय घाटे की स्थिति के बावजूद लोकलुभावन योजनाओं के कारण सब्सिडी का बोझ बहुत अधिक है।
- संवृद्धि और विकास में उच्च क्षेत्रीय असमानताएं विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए- नीति आयोग द्वारा 2021 में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के अनुसार, केरल में MPI 0.71% था, जबकि बिहार में यह 51.91% था।

साझा समृद्धि चुनौती
क्षेत्रीय असमानताएं

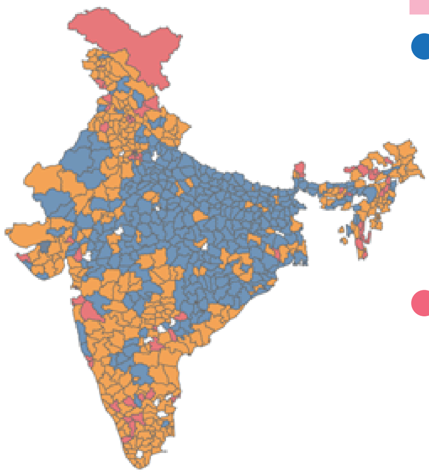

- निम्नतम संवृद्धि वाले 305 जिले
  - सभी कर्मचारियों का 50%
  - बड़े पैमाने पर स्थानीय या प्राकृतिक संसाधन-आधारित अर्थव्यवस्थाएं
  - औसत वेतन-देश के बाकी हिस्सों से लगभग आधा
- शीर्ष संवृद्धि वाले 70 जिले
  - सभी कर्मचारियों का 10%
  - मजबूत व्यापार, कौशल-आधारित क्लस्टर
  - औसत वेतन-देश के बाकी हिस्सों से लगभग दोगुना

❖ जाति, वर्ग और लिंग के मामले में स्पष्ट विभाजन: यद्यपि एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों एवं अन्य साधनों (शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन, बिजली आदि) तक पहुंच में वृद्धि हुई है। फिर भी, भारतीय समाज को कई कमियों का सामना करना पड़ता है जैसे:

- शिक्षा की खराब गुणवत्ता: साक्षरता दर में वृद्धि के बावजूद शिक्षा की खराब गुणवत्ता के कारण समग्र शैक्षिक परिणाम उत्साहजनक नहीं हैं। उदाहरण के लिए-खराब लर्निंग आउटकम, उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) केवल 27.1% है और केवल 46.2% स्नातक ही रोजगार के योग्य हैं।
- निराशाजनक स्वास्थ्य परिणाम: भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में से 101वें स्थान पर है। भारत में 15.3% जनसंख्या कुपोषित है, 5 वर्ष से कम आयु के 17.3% बच्चे दुबलेपन (Wasted) से और 5 वर्ष से कम आयु के 34.7 प्रतिशत बच्चे ठिगनेपन (Stunted) से ग्रस्त हैं।

- **उच्च लिंग अंतराल:** ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार, भारत 146 देशों में 135वें स्थान पर है। इसका कारण कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी, निम्न साक्षरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच, खराब स्वास्थ्य और भेद-भाव के कारण आजीविका की समस्याएं आदि हैं।
- **पिछड़ी जातियों और जनजातियों के बीच उच्च गरीबी तथा असमानता:** वैश्विक MPI के अनुसार, भारत में प्रत्येक 6 बहुआयामी गरीबों में से 5 पिछड़ी जातियों या जनजातियों से संबंधित हैं। इसका कारण पिछड़ी जातियों या जनजातियों के पास संसाधनों पर स्वामित्व का अभाव, उनके साथ होने वाला सामाजिक भेद-भाव, स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उनकी सीमित पहुंच, निम्न सामाजिक गतिशीलता आदि हैं।

❖ **सुरक्षा संबंधी आंतरिक और बाह्य खतरे:** भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक बाह्य और आंतरिक खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे:

- **सुरक्षा संबंधी बाह्य खतरे:** इसमें शत्रुतापूर्ण पड़ोसी देशों (चीन और पाकिस्तान) के साथ अस्पष्ट सीमाएं और राज्य प्रायोजित आतंकवाद, ऊर्जा आयात पर उच्च निर्भरता, अंतरिक्ष का बढ़ता सैन्यीकरण, नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को खतरा, पोत-परिवहन की स्वतंत्रता, साइबर हमले, दुर्लभ संसाधनों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा इत्यादि शामिल हैं।
- **सुरक्षा संबंधी आंतरिक खतरे:** इसमें उग्रवाद, पूर्वोत्तर में अशांति, वामपंथी अतिवाद (नक्सलवाद), सांप्रदायिक हिंसा, क्षेत्रवाद, संगठित अपराध (मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, नार्को-आतंकवाद आदि), राज्यों की शोधन अक्षमता (Sub-national bankruptcies), जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जल की कमी, बेरोजगारी आदि शामिल हैं।

❖ **संधारणीय विकास के समक्ष उभरते खतरे:** चीन और सयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है। बढ़ती आबादी के कारण शहरीकरण, संसाधनों की बढ़ती मांग तथा विकासात्मक जरूरतों ने कई पर्यावरणीय चुनौतियों को जन्म दिया है, जैसे:

- वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल की कमी, वनों की कटाई, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि (जैसे-वनाग्नि, भूस्खलन), अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट का पैदा होना, जैव-विविधता और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की हानि। उदाहरण के लिए-विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट (2021) के अनुसार विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 63 भारत में हैं।

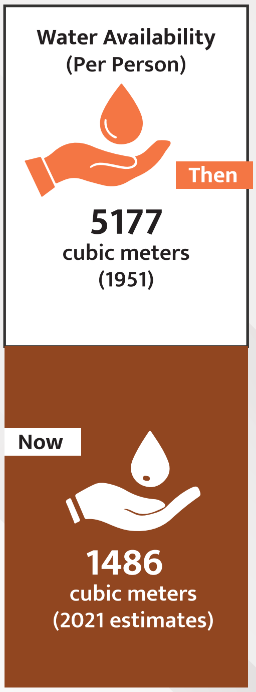

10 INDIAN CITIES IN TOP 15 MOST POLLUTED PLACES

GLOBAL RANK	COUNTRY	STATE	CITY
1	India	Rajasthan	Bhiwadi
2	India	Uttar Pradesh	Ghaziabad
3	China	Xinjiang	Hotan
4	India	Delhi	Delhi
5	India	Uttar Pradesh	Jaunpur
6	Pakistan	Punjab	Faisalabad
7	India	Uttar Pradesh	Noida
8	Pakistan	Punjab	Bahawalpur
9	Pakistan	Khyber Pakhtunkhwa	Peshawar
10	India	Uttar Pradesh	Bagpat
11	India	Haryana	Hisar
12	India	Haryana	Faridabad
13	India	Uttar Pradesh	Greater Noida
14	India	Haryana	Rohtak
15	Pakistan	Punjab	Lahore

❖ भारत की सॉफ्ट पावर का उपयोग करने में असमर्थता: भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी प्रणाली तथा प्राचीनतम सभ्यता वाला राष्ट्र है। इसके बावजूद, भारत ने 'ब्रांड इंडिया' के निर्माण में सीमित सफलता ही हासिल की है। उदाहरण के लिए-

- वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक (Global Travel and Tourism Development Index) में भारत 54वें स्थान पर है।
- समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जनजातियों सहित कुशल शिल्पकार होने के बावजूद वैश्विक बाजार में भारतीय कला एवं शिल्प की हिस्सेदारी अभी भी काफी कम है।

❖ अनुसंधान और नवाचार संस्कृति का अभाव: यद्यपि भारत में चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, धातुकर्म, वास्तुकला आदि की समृद्ध विरासत रही है, किंतु वर्तमान में यहां निम्नलिखित कारणों से अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति का अभाव है:

- अनुसंधान और विकास पर कम व्यय (नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार, भारत में अनुसंधान और विकास हेतु GDP का केवल 0.7% व्यय किया जाता है या भारत का प्रति व्यक्ति अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय लगभग 43 डॉलर है।)।
- स्कूल में बुनियादी शोध हेतु शिक्षकों में उपयुक्त प्रशिक्षण और प्रेरणा का अभाव रहता है।
- व्यावहारिक ज्ञान के बजाय सैद्धांतिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

❖ मीडिया और सिविल सोसाइटी पर अविश्वास: निष्पक्षता की कमी, मीडिया ट्रायल, फंडिंग के स्रोत के संबंध में गोपनीयता, मीडिया और नागरिक समाज पर बड़ी-बड़ी कंपनियों के प्रभाव आदि के कारण मीडिया एवं नागरिक समाज पर विश्वास कम हो रहा है। साथ ही, ईमानदार पत्रकारों, कार्यकर्ताओं आदि पर हमलों के कारण आधारभूत और सत्यनिष्ठ पत्रकारिता में एक खालीपन उत्पन्न हो जाता है।

हम कहा खड़े हैं?: आजादी के 75 साल बाद भारत की अन्य देशों के साथ तुलना

संकेतक	भारत	तुलना
जनसंख्या	वर्ष 1960 और 2021 के बीच भारत की जनसंख्या में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।	भारत की जनसंख्या अब चीन (सर्वाधिक आबादी वाला देश) के बराबर होने वाली है। अधिकांश देशों की जनसंख्या में 1.5-2 गुना तक वृद्धि हुई है।
मानव विकास सूचकांक (HDI)	भारत का HDI वर्ष 1950 में 0.11 था, जो बेहतर होकर वर्ष 2019 में 0.64 हो गया है।	समग्र रूप से प्रगति के बावजूद, भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट आई है। इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे देशों ने HDI में भारत को अब पीछे छोड़ दिया है।
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP)	वर्ष 1960 से 2021 के मध्य भारत की प्रति व्यक्ति GDP लगभग 28 गुना बढ़ी है।	विकसित देशों में प्रति व्यक्ति GDP में लगभग 25 गुना वृद्धि हुई है। विकासशील देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन कमजोर रहा है। उदाहरण के लिए- वर्ष 1960 से 2021 के मध्य चीन की प्रति व्यक्ति GDP में 141 गुना वृद्धि हुई है।
शिशु मृत्यु दर (IMR) प्रति हजार	भारत के IMR में सुधार हुआ है। यह वर्ष 1960 में 161.8 था, जो वर्ष 2020 में 27 हो गया है।	हालांकि, संख्यात्मक रूप से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। किंतु तुर्की, बांग्लादेश और मिस्र जैसे देशों से भारत अभी भी पीछे है, जिनका IMR 25 से कम है।

एक छोटी सी वार्ता!

एक विकसित राष्ट्र का मार्ग: मंजिल दूर नहीं।

विनय: अरे विनी, क्या तुम जानती हो कि भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बनने की आकांक्षा रखता है?

विनी: यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या भारत इसके लिए आवश्यक उच्च संवृद्धि दर हासिल कर सकता है और उसे बनाए रख सकता है?

विनय: देखो, भारत ने आजादी के पिछले 75 वर्षों में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने हेतु काफी प्रगति की है।

विनी: क्या एक विकसित देश बनने के लिए इतना काफी है?

विनय: बिलकुल नहीं। लेकिन इन 75 वर्षों में इसने एक मजबूत औद्योगिक आधार और बुनियादी ढांचा तैयार किया है। इसके अलावा, भारत ने उच्च आय वाला देश बनने के लिए मानव पूंजी में भी निवेश किया है।

विनी: सुनकर अच्छा लगा, लेकिन हमारे पास अभी भी बेरोजगारी, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, सीमित तकनीकी नवाचार जैसी समस्याओं के साथ-साथ गरीब आबादी का एक उच्च प्रतिशत है।

विनय: हाँ, यह सच है, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कई पहलें की हैं और बेहतर भारत के निर्माण के लिए नवाचार को प्रोत्साहित भी किया है।

विनी: यह उत्साहजनक लगता है। मुझे उम्मीद है कि इन पहलों का लाभ समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों तक पहुंचेगा।

विनय: हाँ। मुझे भी यही उम्मीद है। संधारणीय विकास के लिए सभी के जीवन में समृद्धि और खुशियां लाना जरूरी है।

विनी: ठीक है। मैं भी कड़ी मेहनत करूंगी और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दूंगी।

विनय: हाँ विनी। मुझे लगता है कि एक नागरिक के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है।

इंडिया@100: एक विकसित, गौरवान्वित, संगठित और कर्तव्यबद्ध भारत के लिए रोडमैप

अपनी क्षमता को साकार और उपर्युक्त वर्णित बाधाओं का समाधान करते हुए एक महत्वाकांक्षी भारत के लिए "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" अनिवार्य होगा।

लाल किले की प्राचीर से वर्ष 2047 के लिए भारत की महत्वाकांक्षाओं और सपनों को दिशा देते हुए, प्रधान मंत्री ने देश की जनता से अगले 25 वर्षों के लिए पांच प्रतिज्ञाएं (पंच प्रण) लेने का आग्रह किया है। इन 25 वर्षों को लोकप्रिय रूप से 'अमृत काल' कहा जा रहा है।

निम्नलिखित महत्वाकांक्षाओं और आवश्यक संबद्ध प्रयासों से इंडिया @100 के विकास-पथ का निर्धारण होगा-

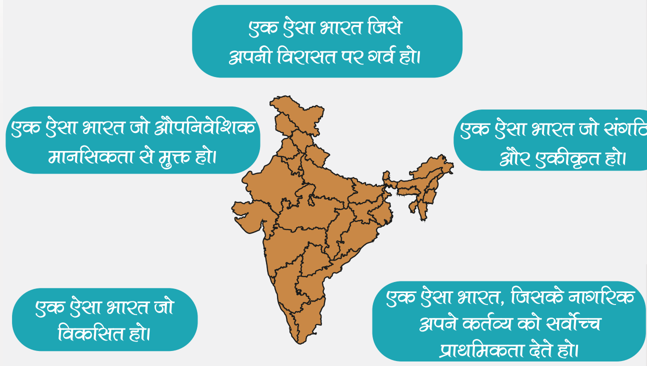

इंडिया@100: नागरिकों के लिए पांच प्रतिज्ञा

- एक अग्रणी राष्ट्र के लिए राजनीतिक नेतृत्वः राजनीतिक नेतृत्व किसी देश को भौतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित रखने हेतु नीति-निर्माण और संसाधनों के आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक लोकतंत्र होने के नाते, भारत को सभी स्तरों पर सत्यनिष्ठ, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी के साथ-साथ विनम्र नेतृत्व की आवश्यकता है।

राजनीतिक नेतृत्व की जवाबदेही के लिए मौजूदा उपाय

- विभिन्न चुनावी सुधार, जैसे-
  - अपराधी सांसदों/विधायकों को अयोग्य घोषित करना,
  - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में नोटा विकल्प की शुरुआत करना,
  - VVPAT (वोटर-वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) और राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बांड आदि।
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा अस्तित्वहीन पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटाना।
- चुनावों के दौरान मुफ्त उपहार देने हेतु की जाने वाली घोषणाएं राज्य सरकारों को दिवालियापन की ओर ले जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इसके पीछे के तर्क की समीक्षा करेगा।

अमृत काल में किए जाने वाले उपाय

अगले 25 वर्षों में, भारत को उन्नत, स्वस्थ और बेहतर लोकतंत्र बनने के लिए अधिक-से-अधिक राजनीतिक एवं चुनावी सुधारों की आवश्यकता है, जैसेः

- आदर्श आचार संहिता को मजबूत करना और निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाना।
- स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों के लिए चुनावी व्यय या राज्य के वित्त पोषण की उचित निगरानी के माध्यम से अधिक वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच टीम वर्क को सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के जरिये बढ़ावा देना। यह इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आगामी कुछ वर्षों में भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की संभावना है। गौरतलब है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन न करने की समय सीमा 2026 में समाप्त हो जाएगी।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले उपायों की खोज करना। उदाहरण के लिए- अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले जनप्रतिनिधियों को दंडित करने के लिए "राइट टू रिकॉल" (वापस बुलाने का अधिकार)।
- मतदान केंद्रों तक सुगम पहुंच, नामांकन में सरलता, आदि के माध्यम से मतदान प्रतिशत में सुधार करना, ताकि चुनावों को अधिक समावेशी बनाया जा सके।
- लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए स्वतंत्र मीडिया और नागरिक समाज को सशक्त बनाना।

मजबूत भारतीय संघवाद की ओर

पिछले एक दशक में, भारत ने कई नीतिगत विकल्पों और पहलों को अपनाया है, जिन्होंने भारत के संघीय ढांचे को मजबूत किया है। सबसे मौलिक परिवर्तन वर्ष 2015-16 में चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर उठाये गए कदम हैं, उदाहरण के लिए-

- योजना आयोग की जगह एक थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का गठन करना,
- विचार-विमर्श एवं संयुक्त रूप से निर्णय लेने के लिए वस्तु और सेवा कर परिषद की स्थापना।

हालांकि, इन प्रयासों ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम जैसी कई पहलों की शुरुआत की है, लेकिन ये पहलें, टुकड़ों में की जाने वाली कार्रवाई और सीमित संसाधनों के साथ-साथ कुछ प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इन चुनौतियों और भारत के संघीय ढांचे के लिए संबद्ध विज़न को संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान चुनौतियां	इंडिया @100
○ श्रम संबंधी नियमों के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है।	○ भारत सरकार सूचना, आर्थिक प्रोत्साहन और साधन प्रदान करेगी।
○ कई राज्यों का बढ़ता राजकोषीय घाटा, उनकी बढ़ती आर्थिक क्षमता से मेल नहीं खा रहा है।	○ राज्य और क्षेत्रीय सरकारें ऐसी रणनीतियां तैयार करेंगी, जो केंद्रीय एवं स्वयं के साधनों तथा संसाधनों का उपयोग करेंगी।
○ राज्यों में स्थानीय स्तर पर प्रभावी संस्थाओं की कमी है।	○ क्षेत्रीय और विशेष रूप से महानगरीय सरकारी संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा।

विविधता एक चुनौती के रूप में ▶ विविधता एक लाभ के रूप में

इस विज़न को प्राप्त करने के लिए, प्रधान मंत्री ने "प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद (Competitive Cooperative Federalism)" रणनीति को अपनाने का आह्वान किया है।

सहकारी संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच एक क्षैतिज संबंध (Horizontal Relationship) का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर व्यापक जनहित के लिए साझा मुद्दों पर सहयोग एवं उनका समाधान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ, प्रतिस्पर्धी संघवाद, राज्यों और केंद्र सरकार के बीच एक उर्ध्वाधर संबंध (Vertical Relationship) का प्रतीक है, जिसके तहत राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं।

सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का मिश्रित रूप बेहतर परिणाम प्रदान करता है। इससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:

- इससे केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है,
- इसके माध्यम से कोई भी राज्य अपने विचारों को सबके सामने बेहतर रूप से रख सकता है,
- यह राज्यों के मध्य दक्षता, बेहतर परिणाम और नवाचार के संबंध में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।

❖ **विकास के आधार के रूप में सुशासन:** किसी देश की शासन प्रणाली **नीति-निर्माण, विनियामक ढांचे** और **विधि के शासन** को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विनियामक ढांचा और विधि का शासन लोगों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। इन प्रभावों में लोगों के सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक अधिकारों की रक्षा करने से लेकर सभी के लिए अवसरों को सुनिश्चित करना शामिल है।

सुशासन के लिए वर्तमान में किए गए उपाय

- पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**
- भागीदार-परक और अनुक्रियाशील सेवा वितरण के लिए **सिटीजन चार्टर**।
- न्यायसंगत, समावेशी, कुशल और प्रभावी शासन के लिए **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग**। उदाहरण के लिए- **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP)** के तहत **कॉमन सर्विस सेंटर (CSS)** की स्थापना करना।
- भागीदार-परक और सर्वसम्मति से प्रेरित शासन हेतु निर्णय लेने में **नागरिक समाज** एवं **लोगों की भागीदारी**। उदाहरण के लिए- पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम सभा का गठन करना।
- कार्य में उत्कृष्टता हेतु सरकारी कर्मचारियों के क्षमता-निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी (योग: कर्मसु कौशलम्, भारतीय प्रशासनिक सेवा का आदर्श वाक्य)। इसका लक्ष्य उत्पादकता में सुधार और बेहतर परिणामों को सुनिश्चित करना है।

अमृत काल में आगे किए जाने वाले उपाय

अगले 25 वर्षों में, भारत में भ्रष्टाचार, असमानता, बेरोजगारी आदि को समाप्त करने और वर्तमान उपायों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नागरिक-केंद्रित एवं भविष्य हेतु तैयार प्रशासन महत्वपूर्ण हो जाता है। यह कार्य निम्नलिखित उपायों के द्वारा किया जा सकता है;

- स्थानीय सरकारों को **निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों का प्रभावी हस्तांतरण करना।**
- निर्णय-निर्माता को समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को समझने में सक्षम बनाने हेतु परानुभूति और सामाजिक बुद्धिमत्ता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए **शासन के विभिन्न अंगो में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना।**
- नागरिक-केंद्रित और आम आदमी के लिए जीवनयापन की सुगमता को सुनिश्चित करने हेतु सरकारी तंत्र के बेहतर प्रदर्शन और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
- RBI, नौकरशाही, पुलिस, जांच एजेंसियों आदि संस्थानों के काम-काज में **राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करना।** जैसा कि तिरुवल्लुवर ने कहा है- **"यदि राजा के पास उसका सम्मान करने वाले और उससे मैत्री रखने वाले ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, जो राजा को उसकी गलती बता सकें, उससे असहमत हो सकें एवं उसकी गलतियों को ठीक कर सकें, तो शत्रु भी ऐसे राजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।"**

❖ संधारणीय विकास एक महत्वपूर्ण विकास है: 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के तात्कालिक लक्ष्य के साथ शुरुआत करते हुए, भारत अमृत काल में 10 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर या उससे अधिक की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्राप्त करेगा। भारत की जनसांख्यिकीय क्षमता वर्ष 2041 तक अपने चरम पर होगी और वर्ष 2050 तक शहरीकरण लगभग 50% तक पहुंच जाएगा। साथ ही, भारत वर्ष 2030 तक संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) को हासिल करने की दिशा में सफल हो सकता है। इसके अलावा, भारत पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) का और वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर सकता है। आगे तालिका में एक कुशल, समावेशी और लचीले संवृद्धि के लिए संधारणीय विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

संधारणीय विकास के लिए मौजूदा उपाय

- अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के साथ पेरिस समझौते का अनुमोदन, स्वच्छ विकास परियोजनाओं को अपनाना आदि।
- प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (2019), कोयला कर, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आदि।
- सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा हेतु निवेश में वृद्धि की गई है।

आगे अमृत काल में किए जाने वाले उपाय

- निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु स्थानीय पर्यावरण कानूनों, नियमों आदि को मजबूत करते हुए सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाना।
- समावेशी समाज के लिए सहकारी, सलाहकारी और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से अंतर्विरोधों का प्रभावी प्रबंधन करना।
- प्रतिस्पर्धात्मकता, विनियामक सुधारों आदि के माध्यम से भारत की आर्थिक और जनसांख्यिकीय क्षमता का उपयोग करते हुए आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास करना।

❖ समाज को समतामूलक और न्यायसंगत बनाना: न्यायपूर्ण समाज के निर्माण एवं वर्तमान असमानताओं तथा अन्यायों को दूर करने के लिए न्याय के साथ नीति एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है। इसके लिए सकारात्मक कार्यों के द्वारा विशिष्ट सामाजिक अन्यायों और अभावों को भी दूर करने की जरूरत है।

सामाजिक सुरक्षा के लिए वर्तमान उपाय

शिक्षा

- सभी के लिए किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु नई शिक्षा नीति (2020) एवं अन्य योजनाएं लाई गई हैं।

स्वास्थ्य

- व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवा और कल्याण के लिए आयुष्मान भारत के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) लाई गई है एवं अन्य पहलें भी की जा रही हैं।

आगे अमृत काल में किए जाने वाले उपाय

शिक्षा

- महिलाओं/SCs/STs पर विशेष ध्यान देते हुए औपचारिक नौकरियों और उद्यमिता हेतु कौशल-विकास करना एवं शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार करना।

स्वास्थ्य

- GDP का 2.5%, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय करने के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस व्यय का उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य-देखभाल अवसंरचना, सुविधाएं, स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा एवं मूल्यों पर आधारित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है।

❖ **बेहतर भारत के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी:** पिछले कुछ दशकों में उभरती हुई प्रौद्योगिकियां दक्षता, प्रभावशीलता और बेहतर भारत के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गई हैं। यह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, इत्यादि जैसे सभी क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई दे रही है। साथ ही, सरकार द्वारा समर्थित स्टार्ट-अप्स और प्रौद्योगिकी उद्यमों के संबंध में निजता, सुरक्षा और नौकरी छूटने के जोखिमों के मुद्दों को हल करने के लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता है।

प्रौद्योगिकी के द्वारा बदलाव लाने हेतु वर्तमान पहलें

- नागरिकों और व्यवसायों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने में सुधार के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना।
- भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए डिजिटल इंडिया पहल।
- अन्य पहलें, जैसे- स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM), मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOCs) के लिए स्वयं (Swayam) पहल आदि।

अमृत काल में किए जाने वाले उपाय

- निजता के अधिकार और डेटा के जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु डेटा सुरक्षा कानून बनाना।
- सामाजिक प्राथमिकताओं के साथ व्यावसायिक मॉडल को सुमेलित करने के लिए मानव-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास का लाभ दूरस्थ स्थानों और अत्यधिक जरूरतमंदों तक पहुंचे, ग्रामीण भारत के लिए स्टार्ट-अप्स पहल को आरंभ करना।
- ब्लॉकचेन, वेब 3.0, 5जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों को शीघ्र अपनाना और इसे फलने-फूलने के लिए एक अनुकूल माहौल प्रदान करना।

❖ **वैश्विक नेतृत्व ग्रहण करना:** जैसे-जैसे भारत वैश्विक मानचित्र पर उभर रहा है, इसकी जिम्मेदारियां भी वैश्विक होती जा रही हैं। साथ ही, बदलती वैश्विक व्यवस्था, बढ़ती भू-रणनीतिक चुनौतियों एवं भारत के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के कारण भारत से निम्नलिखित उम्मीदें की जा सकती हैं कि:

- यह हिंद महासागर क्षेत्र में (इस क्षेत्र में कमजोर देशों की उपस्थिति के कारण) एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता बनकर क्षेत्रीय नेतृत्व-कर्ता के रूप में उभरे।
- भारत की सामरिक पहुंच का प्रशांत और उससे आगे तक विस्तार करना, ताकि भारत एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति बन कर विभिन्न राष्ट्रों के बीच सौहार्द कायम कर सके। इसके लिए आधुनिक सशस्त्र बलों की रक्षा क्षमताओं (Defence Capabilities) में आत्मनिर्भरता एवं दूसरों के साथ सहयोग की आवश्यकता है।

> "पूरी दुनिया को दोस्ती में गले लगा लेना ही बुद्धिमानी है। यह बुद्धिमानी फूल की तरह परिवर्तनशील नहीं है, जो खिलते हैं और मुरझा जाते हैं।"
>
> - तिरुवल्लुवर

- **भारत की विरासत पर गर्व करना और इससे सीखना:** कोई देश तब महान बनता है, जब लोग उसपर और उसकी विशेषताओं पर गर्व करते हैं। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता और लोकतंत्र का जन्मस्थान है। ऐसे में, हमें अपनी सामाजिक-शिक्षा प्रणाली पर कार्य करना चाहिए, जो भारत और इसकी सभ्यता को गौरवान्वित करती है। इसे साकार करने के लिए भारतीय विचार और दर्शन को एकीकृत किया जा सकता है, ताकि सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक पारितंत्र को समृद्ध किया जा सके।

> "स्कूल में बच्चो को दी गई शिक्षा ही भविष्य में सरकार की दिशा निर्धारित करेगी।"
>
> \- अब्राहम लिंकन

निष्कर्ष

किसी राष्ट्र के जीवन में 75 वर्ष बहुत कम समय हो सकता है, लेकिन मानव जीवन काल के दृष्टिकोण से यह एक लंबा समय है। अगले 25 वर्षों में भारतीय लोगों के प्रयास केवल आत्मनिर्भर भारत तक ही सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि भारत को ज्ञान और नवाचार (विश्व गुरु) के केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु भी केंद्रित होने चाहिए। यह वसुधैव कुटुम्बकम के दृष्टिकोण के अनुसार वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में भारत की सहायता करेगा। साथ ही, यह एक संगठित भारत और दुनिया के लिए पारस्परिक संवेदनशीलता, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक हितों की उभरती जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।

इंडिया @75 एंड बियॉण्ड

प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों से अगले 25 वर्षों (अमृत काल) के लिए 5 प्रतिज्ञाएं (पंच प्रण) लेने का आग्रह किया:

- विकसित भारत का निर्माण।
- औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त भारत का निर्माण।
- अपनी विरासत पर गर्व करने वाले भारत का निर्माण।
- संगठित और एकीकृत भारत का निर्माण।
- ऐसे भारत का निर्माण, जहां नागरिक अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानते हों।

भारत का वर्तमान दृष्टिकोण

- राजनीतिक: संविधान के आदर्शों द्वारा निर्देशित एक लोकतांत्रिक राज्य के साथ शक्ति का पृथक्करण।
- आर्थिक: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का विस्तार, जिसने 1991 में लाइसेंस, कोटा और परमिट व्यवस्था को बदल दिया।
- लोग और समाज: गारंटी प्राप्त मूल अधिकारों के साथ कल्याणकारी राज्य।
- विदेश नीति: अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दिशा में कार्य करना।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी: आत्मनिर्भरता हासिल करना और सभी के लाभ के लिए इसका उपयोग करना।

उपलब्धियां

- नागरिक अधिकारों के विस्तार के साथ-साथ लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है।
- बढ़ते विदेशी व्यापार, उच्च विदेशी मुद्रा भंडार और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के साथ भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
- साक्षरता, स्वास्थ्य और गरीबी के स्तर संबंधी संकेतकों में सुधार हुआ है।
- बढ़ती वैश्विक भागीदारी और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के साथ प्रमुख बहुपक्षीय मंचों की सदस्यता प्राप्त की है।
- सफल स्वदेशी कार्यक्रमों और प्रौद्योगिकियों के द्वारा वैज्ञानिक शोधों के प्रकाशनों, नवाचारों एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया है।

भारत की उपलब्धियों को सीमित करने वाले कारक

- राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करना और राजनीतिक दलों में पारदर्शिता की कमी।
- नैतिकता में गिरावट, कानूनों के खराब कार्यान्वयन आदि के कारण शासन से जुड़ी समस्याएं। साथ ही, अत्यधिक बोझिल और अपारदर्शी न्यायपालिका।
- अर्थव्यवस्था से जुड़े संरचनात्मक मुद्दे, जो आर्थिक बाधाओं और क्षेत्रीय विषमताओं को जन्म देते हैं।
- स्पष्ट जातिगत, वर्ग और लैंगिक विभाजन।
- सुरक्षा संबंधी अनेक आंतरिक और बाह्य खतरे।
- प्रदूषण, वनों की कटाई, आदि के कारण संधारणीय विकास के समक्ष उभरते खतरे।
- R&D पर कम खर्च के कारण अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति का अभाव और सैद्धांतिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देना।
- मीडिया और सिविल सोसाइटी पर बढ़ते अविश्वास के कारण सॉफ्ट पावर का उपयोग करने में भारत की असमर्थता।

एक विकसित, गौरवान्वित, संगठित और कर्तव्यबद्ध भारत के निर्माण के लिए रोडमैप

- बेहतर, स्वस्थ और उन्नत लोकतंत्र के लिए व्यापक राजनीतिक और चुनावी सुधार करना।
- नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए सुशासन को बढ़ावा देना।
- स्थानीय पहल के साथ सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाना, ताकि पर्यावरण का संरक्षण, अंतर्विरोधों का प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा साझा और संधारणीय समृद्धि के लिए एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना।
- सकारात्मक कार्यों के द्वारा सामाजिक अन्याय और अभावों को दूर करने के लिए समानता पर आधारित न्यायसंगत समाज का निर्माण करना।
- एक कुशल और समावेशी भारत के लिए मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना।
- क्षेत्रीय नेतृत्व-कर्ता बनना और वैश्विक नेतृत्व-कर्ता के रूप में उभरने के लिए भारत की रणनीतिक पहुंच का विस्तार करना।